7

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल– rcs.coop@nic.in

क्रमांक / पंजीयन / 2014 / 3522 नया रायपुर, दिनांक 17 / 07 / 2014

प्रति,

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं (समस्त),

....

विषय :– छ0ग0 स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 के अंतर्गत कार्यवाही बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / विधि / 101 / 2014 / 2289 दिनांक 01 / 05 / 2014.

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत छ0ग0 राजपत्र असाधारण दिनांक 25 / 03 / 2014 छ0ग0 स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2014 संलग्न प्रेषित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 3 (2) एवं 3 (3) का प्रावधान निम्नानुसार है :–

- 3 (2) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियत तिथि को तथा नियम तिथि से निरसित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारिता, छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रं. 17 सन् 1961) के अंतर्गत पंजीकृत समझी जाएगी तथा उक्त अधिनियम के प्रावधान, ऐसी सहकारिताओं को विनियमित करने के लिए लागू होंगे।
- 3 (3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निरसित अधिनियम के अधीन सहकारिता के संचालक मण्डल द्वारा बनाई गई उपविधियॉं और विनियम, जहां तक वे छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रं. 17 सन् 1961) और उसके अधीन बनाये गये, नियमों के प्रावधानों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रं. 17 सन् 1961) के अंतर्गत परिवर्तित या विखंडित न कर दिये जायें।

उक्त प्रावधान अनुसार पूर्व से पंजीकृत स्वायत्त सहकारिता छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समझी गई है।

अतएव उक्त छ0ग0 स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के प्रावधान अनुसार पंजीकृत समितियों के संबंध में सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः पंजीकृत समझी गई स्वायत्त सहकारिताओं के परीक्षण छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुकूलन के निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाये :–

1. छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत समझी गई स्वायत्त सहकारिता अपनी उपविधियों में संशोधन हेतु आमसभा में पारित निर्णय के 30 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन करेंगी :–
   (a) आमसभा के कार्यवाही विवरण की प्रति।
   (b) आमसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या एवं विषय के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की जानकारी।
   (c) उपविधि की दो प्रतियॉं (स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित)।
   (d) स्वायत्त सहकारिता से छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधान अनुसार सहकारी समिति के रूप में परिवर्तन के लिए आमसभा में उपविधियों के अनुमोदन की चार प्रतियॉं।
   (e) स्यायत्त सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
   (f) पूर्व वित्तीय वर्ष/वर्षों के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों की प्रति।
   (g) संचालक मण्डल/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रतिनिधियों आदि के निर्वाचन का दिनांक एवं उनके कार्यकाल का अंतिम तिथि तथा उसका विवरण।
   (h) अन्य सुसंगत दस्तावेज जो परीक्षण के लिए आवश्यक है।
2. उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयक की शक्तियों से सशक्त, सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण किया जायेगा तथा आमसभा में संशोधित उपविधियों के छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने पर तथा अधिनियम तथा नियम के विपरीत नहीं पाये जाने पर संस्था का पंजीयन किया जावेगा तथा पंजीयन रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी तथा मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए सहकारी सोसायटी के रूप में पंजीयन कर नया पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रतिमाह प्रगति से अवगत करावें।

15.7.14

(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ0 क्रमांक/पंजीयन/2014/ 3522
प्रतिलिपि :–

नया रायपुर, दिनांक 17/07/2014

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं (समस्त) जिला .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़